

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0- 16 / 19-20

श्याम नारायण साह बनाम् रैयान मौजा-अमरपुर

-: आदेश :-

12.08.2023

वर्तमान वाद आवेदक श्याम नारायण साह, पे0-स्व0 चन्द्र मोहन साह, अजय कुमार आजाद, पे0-विश्वनाथ प्रसाद एवं मुस्लिम अंसारी, पे0-मोहीबुल हक, सभी सा0-अमरपुर, थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत मौजा- अमरपुर नं0-203 के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किया गया तथा प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक-513/रा0, दिनांक-09.11.2020 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा प्रधानी मौजा नहीं है, उक्त मौजा खास है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा- अमरपुर नं0-203 खास होने के कारण आवेदकगण के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

80
12.08.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

80
12.08.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen by
S-C-Bo
12/08/23
Shyam
Bande Kumar
12/08/23
Hd
12/08/23
Ottam Koverko
Adv.
12/08/23